बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०– स्था०1/आ०2–02/2017 / 375 /पटना, दिनांकः– 15/12/22

कार्यालय आदेश

श्री आनन्द कुमार कांत, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पकड़ीदयाल, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी संप्रति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, भोजपुर (आरा) के विरूद्ध SGRY/SREGA/GRY/ राष्ट्रीय कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम आदि योजनाओं का अपने प्रखंड एवं क्षेत्राधीन पंचायत/डीलर को उपावंटित नगद एवं खाद्यान्न के स्टॉक का विशेष अंकेक्षण नहीं कराने, सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने, शिथिलता बरतने तथा लापरवाही बरतने एवं सरकारी कार्य के प्रति कर्त्तव्यहीनता के आरोप में ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–296855 दिनांक–13.01.2017 के साथ जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा गठित आरोप पत्र के आधार पर निदेशालय के का०आ०सं०–151 सहपठित ज्ञापांक–665 दिनांक–03.04.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत श्री आनन्द कुमार कांत के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. अपर समाहर्त्ता,पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–21 दिनांक–26.05.2022 द्वारा श्री आनन्द कुमार कांत के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में समर्पित संचालन प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने निम्न मंतव्य दिया है :–

"प्रपत्र 'क' में लगाया गया आरोप/आरोपी पदाधिकारी तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पकड़ीदयाल द्वारा दिया गया जबाव एवं उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा दिये गये मंतव्य के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि आरोपी पदाधिकारी के द्वारा प्रपत्र"क" में लगाये गये आरोप के संबंध में अपना पक्ष नहीं रखा गया । आरोपी पदाधिकारी के द्वारा इंदिरा आवास के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया, जबकि प्रपत्र 'क' में इंदिरा आवास से संबंधित कोई आरोप समाहित नहीं है।

उपस्थापन पदाधिकारी के द्वारा आरोप प्रमाणित होने संबंधित मंतव्य सुनवाई के क्रम में दिया गया है। आरोप संख्या–01 के संबंध में आरोपित पदाधिकारी के द्वारा यह प्रतिक्रिया दी गई है कि प्रपत्र 'क' जल्दीबाजी में भरकर बार–बार पत्र देकर दूरभाष से बार–बार फोन करने संबंधित आरोप निराधार प्रतीत होता है। आरोपित पदाधिकारी का इस कथन के संबंध में उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। आरोपी पदाधिकारी के प्रतिक्रिया को अस्वीकार किया जाता है। आरोप प्रमाणित होता है।

0425 स्था० 1 (का०आ०) (06 दिसंबर 2022) आनन्द कुमार कान्त.

आरोप संख्या –02 के संदर्भ में भी आरोपी पदाधिकारी की प्रतिक्रिया में यह उल्लेख किया गया है कि अन्य विभिन्न पदाधिकारी जैसे कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी पंचायत सचिव/भंडारपाल एवं नाजीर जो भूलवश जिम्मेवार है, जिसे छोड़ दिया गया है, जिसका प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई है। आरोप संख्या–02 में आरोपी पदाधिकारी पर लगाये गये आरोप के संदर्भ में उनके द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया है। आरोप प्रमाणित होता है।

आरोप संख्या–03 के संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया में उल्लेख किया गया है कि लंबी अवधि बीतने के बाद बहुत से डिलरों की मृत्यु हो गई है, फिर भी ऑडिट से प्राप्त जानकारी के बाद उनके परिजनों से राशि जमा कराया गया है। उन्हें ऑडिट कराने के बाद जानकारी हुई तभी राशि जमा कराई गई। वास्तव में पत्र प्राप्त होने के पूर्व भी एवं पत्र प्राप्त होने के बाद कई बार राशि जमा कराई गई है। पत्रांक–539 दिनांक–11.06.2010 एवं पत्र संख्या–722 दिनांक–13.05.2010 में वर्त्तमान दर से वसुलने का आदेश आ गया। पत्रांक–784 दिनांक–18.03.2011 में तत्कालीन ए०पी०एल० दर से वसुलने का आदेश दिया गया । पत्रांक–884 दिनांक–30.03.2011 में सरकार द्वारा दर निर्धारित के बाद वसुलने के लिए कहा गया। यह भी विलंब का कारण है। आरोपी पदाधिकारी के द्वारा अंकेक्षण कराये जाने के संदर्भ में कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार यह आरोप भी प्रमाणित होता है।

निष्कर्ष :– आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में लगाये गये आरोप पर आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण तथा उपस्थापन पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी का उपस्थापन पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर प्रतिक्रिया के परिशीलन के उपरांत प्रपत्र 'क' में आरोपी पदाधिकारी पर लगाये गये तीनों आरोप प्रमाणित होता है।''

3. आरोपी पदाधिकारी पर लगाये गये तीनों आरोप प्रमाणित होता है, के प्राप्त संचालन प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) में किये गये प्रावधान के तहत श्री आनन्द कुमार कान्त से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। श्री आनन्द कुमार कान्त द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है :–

(i) दिनांक–07.06.2011 से दिनांक–08.06.2011 तक नगर भवन, मोतिहारी में उपस्थित रहने का निदेश सभी कर्मी/सभी डीलर के साथ था। उनके योगदान के पूर्व 2001–02 से अद्यतन यानि 04.11.2010 तक 10 वर्षों का लाने का निदेश था। वे दिनांक–04.11.2010 से 17.02.2014 तक प्रखंड विकास पदाधिकारी रहे। इसके बीच में श्री विनोद कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता प्रशिक्षु प्रखंड विकास पदाधिकारी, पकड़ीदयाल प्रखंड में दिनांक–03.04.2012 से 23.06.2012 तक रहे। उन सभी को छोड़ कर उनके नाम पर 14 पत्र, दूरभाष पर बातचीत आठ बार, वितन्तु संवाद का पत्र 02, नगर भवन, मोतिहारी में उपस्थित होने का पत्र 2 दिन (07.06.2011 से 08.06.2011तक)का हवाला देकर प्रपत्र 'क' भरा गया है। ज्ञापांक–21/05.01.2010 में श्री मदन कुमार, SDC पकड़ीदयाल प्रखंड में पदस्थापित थे, ज्ञापांक–722/13.05.2010, 941/11.06.2010 में श्री मोहन कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी थे। श्री मदन कुमार दिनांक– 04.06.2007 से 03.04.2010 तक, श्री मोहन कुमार 04.04.2010 से 18.09.2010, श्री विष्णुदेव प्रसाद, अंचलाधिकारी प्रभार

में दिनांक–19.09.2010 से 03.11.2010 तक, श्री आनन्द कुमार कांत दिनांक–04.11.2010 से 17.02.2014 तक, श्री विनोद कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, प्रशिक्षु पदाधिकारी, पकड़ीदयाल प्रखंड में 03.04.2012 से 23.06.2012 तक रहे। इन पदाधिकारियों को प्रपत्र 'क' से दूर रखा गया।

(ii) कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी पंचायत सचिव, भण्डारपाल, नाजिर मूल रूप से जिम्मेवार हैं, जिसको अपर समाहर्त्ता ने भूलवश से जिम्मेवार बताकर असलियत को मिटाने का प्रयास किये हैं। संचालन पदाधिकारी द्वारा यह कहना कि आरोपी द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया है इसलिए निराधार है, क्योंकि इस संबध में उपस्थापन पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता सहित दर्जनों वरीय पदाधिकारी को जानकारी दे चुके हैं। इस संबध में सम्यकोपरान्त संचालन पदाधिकारी का तर्क समीचीन प्रतीत नहीं होता है।

(iii) लंबी अवधि बीतने के बाद बहुत में डीलरों की मृत्यु हो गयी है फिर भी ऑडिट से प्राप्त जानकारी के बाद उनके परिजनों से राशि जमा कराया गया है। वास्तव में मनरेगा के खाता पर राशि प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर, पंचायत समिति स्तर पर जमा कराया गया है। अंकेक्षण के रजिस्टर में ऑडिट कराया गया है । उनके आने के बाद अबतक चार से पॉच प्रखंड विकास पदाधिकारियों से बकाया संबंधी/वसूलनीय राशि की जानकारी दी गयी है। प्रखंड कार्यालय, पकड़ीदयाल के पत्रांक–450 दिनांक–19.03.2018 का पत्र में 1,46,922/– रूपये एवं 51,839/– रूपये जमा कराने का जिक्र है। इस प्रखंड में खाद्यान्न की राशि भुगतेय नहीं है। पत्रांक–941 दिनांक–11.06.2010 एवं पत्रांक–722 दिनांक–13.05.2010 में वर्त्तमान दर से एवं पत्रांक– 734 दिनांक–18.03.2011 में उन्हें APL दर से वसूलने का आदेश दिया गया है। अपर समाहर्त्ता इसे विकृत करने का प्रयास किये हैं। पत्र में परिवर्तन होने से विलंब होना लाजिमी है। सभी राशि जमा कराई गई है। कोई बकाया नहीं है। पत्र में परिवर्तन करने के कारण विलंब हुआ है इसके लिए खुद विभाग जिम्मेवार है।

पूर्वी चम्पारण जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मोतिहारी के पत्रांक–882 दिनांक–31.03.2011 के पत्र में कहा गया है कि प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–3391 दिनांक–29.03.2011 द्वारा 31 मार्च, 2010 तक SGRY/SREGA/GRY से संबंधित खाद्यान्न की राशि मनरेगा के खाता में जमा करवा देना सुनिश्चित करें । जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्वी चम्पारण ने कार्य की समाप्ति पहले एवं इसके लिए आदेश ग्रामीण विकास विभाग का पीछे से दिखाकर आरोप सिद्ध करने का प्रयास किया गया है, जो सरासर झूठा है।

उपस्थापन पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी–सह–संचालन पदाधिकारी ने उपरोक्त सारे आरोप उनपर प्रमाणित करने का प्रयास किया है। कभी APL दर से तो कभी वर्त्तमान दर से डिलरों से अवशेष खाद्यान्न बेचवाकर राशि वसूल कर मनरेगा के खाते में जमा करने का आदेश दिया गया । पत्रांक–864 दिनांक–30.03.2011 में अंकेक्षण शुल्क का भुगतान सरकार द्वारा दर निर्धारण के बाद किया जायेगा। प्रपत्र 'क' के पहले ही राशि जमा करायी गयी है। कोई वसूलनीय राशि नहीं है। अंकेक्षण कार्य निर्धारित समय सीमा में दिनांक–12.07.2011 को कराया गया है।

उपस्थापन पदाधिकारी एवं संचालन पदाधिकारी के द्वारा तीनों आरोपों को एकतरफा प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है।

श्री आनन्द कुमार कान्त के द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रायः उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो इनके द्वारा संचालन पदाधिकारी को समर्पित अपने अभ्यावेदन में किया गया है। इनके द्वारा किसी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। अतएव श्री आनन्द कुमार कांत का अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए श्री आनन्द कुमार कांत, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पकड़ीदयाल, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी संप्रति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, भोजपुर (आरा) पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (V) में किये गये प्रावधानों के तहत दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–

(संजय कुमार पंसारी)

निदेशक

ज्ञापांकः– स्था०1/आ०2–02/2017 / 2185 /पटना, दिनांक :– 15/12/22

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–296855 दिनांक–13.01.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/भोजपुर(आरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/भोजपुर(आरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/भोजपुर(आरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. श्री आनन्द कुमार कांत, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पकड़ीदयाल, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी संप्रति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, भोजपुर (आरा) को सूचनार्थ प्रेषित।

14/12/22

निदेशक

0425 स्था०1 (का०आ०) (06 दिसंबर 2022)आनन्द कुमार कान्त.